International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science
ISSN: 2394-2819
Impact Factor: 7.10
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal)
Email: editor@ijarets.org Volume-13, Issue-6 June – 2026 www.ijarets.org

भारत में कृषि विपणन की ऐतिहासिकता और वर्तमान परिदृश्य का एक अध्ययन

रविन्द्र सिंह (शोधार्थी) **डॉ0 उमेश कुमार शाक्य (शोध निदेशक)**

माता भगवती देवी राजकीय महिला (पी0 जी0) कॉलेज, आंवलखेडा, आगरा

सारांश, भारत में अधिकांश लोग प्रत्यक्ष्य या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थे। भारतीय कृषि प्रणाली में कई बदलाव आ, हैं। भारत में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन के संकेतक मौजूद हैं, और यह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। चूंकि उत्पादन के अन्य क्षेत्र भी इस पर निर्भर हैं, इसलिए भारत ने कृषि को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा है। कृषि के कुशल स्वीकरण ने लागत और गुणवत्ता के आधार पर उत्पादन की एक ऐसी पद्वति को बढ़ावा दिया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल है। ऐसा प्रतीत होता है कि सहकारी समितियां खेत स्तर पर वस्तुओं के वर्गीकरण को व्यवस्थित करने और उसे मूल्यवर्धित विनिर्माण कार्यों में परिवर्तित करने के लि, बेहतर रूप से उपयुक्त हैं। अच्छी और सर्वोत्तम प्रबंधन पद्वतियों द्वारा भारतीय कृषि को संतुलित और प्रभावी बनाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भारत में कृषि विप.ान के ऐतिहासिक और वर्तमान परिदृश्यों, बाधाओं और संभावित मार्गदर्शन पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा, विपणनकर्ता कृषि विपणन द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

कृषि विपणन एवं कृषि व्यवसाय विभाग का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना है और इसका लक्ष्य वर्तमान अधिनियम और नियमों का प्रभावी ढंग से पालन करते हुए और कटाई से पहले एवं बाद में होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से नई तकनीकों को लागू करके इसे प्राप्त करना है। खाद्य फसलों के प्रसंस्करण में वृद्वि के माध्यम से हरित क्रांति कार्यक्रमों को भी स्वायत्तता प्राप्त हुई। राज्य स्तरीय कृषि विप.ान को प्रोत्साहित करने के लि, कई उपाय एक साथ किए गए ग्रामीण आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देने और बना, रखने के लि, कृषि विप.ान अवसंरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि द{ाता में सुधार के लिए विपणन उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वयं खेती। कृषि व्यवसाय पद्वति विक्रय योग्य फसल उत्पन्न करने के दृढ़ संकल्प से शुरू होती है और इसमें कटाई से पहले और बाद की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें शोधन और परिवहन शामिल हैं। इससे कृषि उत्पादों का महत्व बढ़ जाता है। 1977 से कार्यरत कृषि विपणन विभाग का नाम 2001 में कृषि विपणन विनियमन के मुख्य उद्देश्य के साथ कृषि विप.ान विभाग के रूप में बदल दिया गया और इसे कृषि विप.ान एवं कृषि व्यवसाय विभाग कर दिया गया। कृषि उत्पादों की बिक्री के बारे में आपको जो कुछ जानने की आवश्यकता है, वह यहाँ दिया गया है। खाद्य चारा, औद्योगिक फसलें, बागवानी फसलें, बागवानी उत्पाद और अर्ध–प्रसंस्कृत उत्पाद कृषि विपणन का हिस्सा हैं। कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिक्री योग्य कृषि उत्पाद के चयन से शुरू होती है और इसमें तकनीकी और आर्थिक कारकों के आधार पर,

व्यवसाय के कार्यों और बाजार की संरचना या विधि के सभी पहलू शामिल होते हैं, जिनमें उदाहरण के लिए कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों का संयोजन और वर्गीकरण, संग्रह, परिवहन या वितर.ा शामिल है। थॉमसन के अनुसार, कृषि उत्पादों, कच्चे माल या उनके व्युत्पन्न, जैसे वस्त्र, को खेतों से अंतिम ग्राहकों तक पहुँचाने में लगी सभी गतिविधियाँ और ऐजेंसियाँ, तथा उत्पादकों, बिचौलियों और उपभोक्ताओं पर इन गतिविधियों के परि.ाम, कृषि विप.ान के विश्लेषण में शामिल किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार, कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिक्री योग्य कृषि उत्पाद के चयन से शुरू होती है और इसमें तकनीकी और आर्थिक कारकों के आधार पर, व्यवसाय के कार्यों और बाजार की संरचना या विधि के सभी पहलू शामिल होते हैं, जिनमें उदाहरण के लिए कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों का संयोजन और वर्गीकरण, संग्रह, परिवहन या वितरण शामिल है। भारत में कृषि उत्पादों का विपणन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि में विपणन किसानों की आजीविका को सीधे प्रभावित करने वाले कई मुद्दों में से एक है। व्यापक संदर्भ में, कृषि विपणन में परिवहन से लेकर पैकेजिग तक की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं, ताकि गुणवत्ता में एकरूपता बनी रहे और उसमें सुधार हो तथा अपव्यय से बचा जा सके। दुर्भाग्यवश, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की मौजूदा व्यवस्था बेहद दोषपूर्ण है और इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। सरकार और कृषि विशेषज्ञों ने कृषि विकास (खेती), कृषि वित्तपोषण और कृषि विपणन (कृषि उत्पादों की बिक्री) के बीच घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया है। कृषि उत्पादों में न केवल कृषि से प्राप्त उत्पाद शामिल हैं, बल्कि दुग्ध उत्पाद, मांस, बेर, सब्जियां आदि भी शामिल हैं। अंडे, फल, जड़ी–बूटियां और शहद भी इस व्यापक संदर्भ में कृषि उत्पाद हैं। कृषि उपकर.ों के उन्नत विपणन, बेहतर मानकीकरण और वर्गीकरण विधियों, उन्नत संचार प्रणालियों, वैज्ञानिक भंडारण और भंडारण के बावजूद, भारत की कृषि अभी भी पिछड़ी हुई है।

कृषि उत्पादों की विशिष्ट विशेषता,ं हैं, अधिक मात्रा जल्दी खराब होने की प्रवृत्ति किस्मों में व्यापक अंतर मौसमी उपलब्धता बिखरा हुआ उत्पादन उपभोग के लिए प्रसंस्करण की आवश्यकता। ये विशेषता,ं किसानों की बिक्री को एक जटिल तंत्र बनाती हैं। किसान अपने कृषि उत्पादों को कटाई के तुरंत बाद बिना प्रसंस्करण के सीधे बेच देते हैं। चूंकि केवल कच्चे उत्पाद ही बेचे जाते हैं, इसलि, निर्माता और ग्राहक के बीच कई मध्यस्थों को काम करना पड़ता है। विपणन चौनल वह माध्यम है जिसके द्वारा उत्पाद निर्माता से अंतिम ग्राहक तक पहुंचते हैं। विपणन चौनल उत्पाद के अनुसार स्वरूप और जटिलता में भिन्न होते हैं। सड़क किनारे की मांग उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक बहुत ही आसान विपणन माध्यम है (सब्जियां) अधिकांश वस्तुओं को विप.ान चौनल के विभिन्न चरणों में संसाधित करना पड़ता है और अंतिम ग्राहक तक पहुंचने से पहले कई कंपनियों से गुजरना पड़ता है। कृषि विपणन न केवल मांग और उपयोग को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, बल्कि आर्थिक विकास को गति देने में भी सहायक होता है।

शोध पूर्व साहित्यक अवलोकन

कुमार, सुशील (2013) में अपने शोध श्उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास पर कृषि साख का प्रभाव (अलीगढ़ जनपद के विशेष संदर्भ में निकला कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है जिसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि समस्याओं का समाधान आवश्यक है। किसानों के लिए कृषि साख एक ऐसा माध्यम है जो कृषि विकास के साथ–साथ ग्रामीणों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक जीवन पर अनुकूल प्रभाव डालता है।

झा, ताराकांत (2014) ने अपने शोध श्कृषि विपणन पर वैश्वीकरण तथा प्रबंधन का प्रभाव दरभंगा जिले के संदर्भ में शोध प्रबंध में निष्कर्ष निकाला कि कृषि विपणन का परंपरागत तरीका वर्तमान में प्रासंगिक नहीं पाया गया है। अतः कृषि विपणन आधुनिकीकरण के जरिए ही अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सकता है। कृषि

विपणन के प्रबंधन की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही भूमि सुधार कार्यक्रमों की असफलता के कारण कृषि उत्पादन एवं विपणन में बाधा उत्पन्न हुई है। जिसमें महत्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता पाई गई है।

चन्द्र, मोहन, बी०पी० (2014) ने अपने शोध Characteristics and Benefits of Agricultural Diversification in India (The India Economic Jouranl) Special Issue 2014 में कृषि विविधीकरण के प्रमुख अवयवों का अध्ययन किया तथा इससे होने वाले प्रमुख लाभों आय सृजन, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा एवं पोषक सुरक्षा, जलवायु पर प्रभाव, आय स्तर में सुधार आदि का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत में परम्परागत कृषि तकनीकी विविधीकरण के अनुकूल नहीं पायी गयी है।

सिंह, वीरेंद्र (2015) ने अपने शोध पत्र ग्रामीण विकास की समस्याएं (विकास की आवश्यकताएं एवं चुनौतियां सनराइज पब्लिकेशंस दिल्ली) में स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास की प्रमुख चुनौतियां एवं समस्याएं ग्रामीणों के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है, जिनका प्रभाव ग्रामीण विकास के तत्वों पर प्रतिकूल रूप से पड़ता है।

सिंह, वी. (2015) ने अपने शोध पत्र कृषि विकास योजनाओं का क्रियान्वयन (पुस्तक–ग्रामीण विकास के तत्व सनराइज पब्लिकेशन दिल्ली) ने उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि विकास की योजनाओं की संख्या अधिक होने के बावजूद इनके क्रियान्वयन का समय अधिक रहता है। औपचारिकताएं किसानों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हतोत्साहित करती हैं। किसानों के परिवारों द्वारा प्राप्त तकनीकी तथा वैज्ञानिक शिक्षा का प्रयोग कृषि विकास के लिए नहीं किया जाता है।

कुमार, महेंद्र (2015) ने अपनी शोध पुस्तक ष्श्रम अर्थशास्त्र के कुछ गतयात्मक पहलू (समति पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हापुड मेरठ) में निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि श्रमिकों का योगदान बहुपक्षीय है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविध पक्षों को कृषि के साथ अंतर संबंध किया तथा श्रम संबंधी विभिन्न पहलुओं को अध्ययन में शामिल किया। निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण श्रम का स्थानांतरण एक प्राकृतिक व्यवस्था है।

सिंह, कमल (2015) ने अपने शोध पत्र श्कृषि एवं ग्रामीण विकास के मध्य संबंध (सामाजिक परिवर्तन की दिशा एवं समस्याएं पुस्तक सनराइज पब्लिकेशंस दिल्ली) में निष्कर्ष निकाला कि कृषि एवं ग्रामीण विकास एक दूसरे के पूरक हैं. जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के मध्य संबंध स्थापित करने वाले क्षेत्रों में साक्षरता, कौशल विकास, शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य, आय उत्पादन–उत्पादकता, रोजगार, सृजन स्वच्छता औद्योगिकरण प्रमुख है।

शर्मा, गोपाल स्वरूप (2015) ने अपने शोध आलेख ग्रामीण विकास की चुनौतियां (ग्रामीण विकास के तत्व संपादक डॉक्टर कुमार एवं शर्मा सनराइज पब्लिकेशन दिल्ली) में विकास की समस्याओं का वर्गीकरण कर विश्लेषण किया तथा प्रभाव केंद्रीकरण के कारणो की खोज की एवं ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले अवयवों का विश्लेषण किया।

कुमार, दिनेश (2016) ने शोध आलेख श्उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार–एक सूक्षम अध्ययन (ग्रामीण विकास के तत्व संपादक कुमार एवं शर्मा सनराइज पब्लिकेशंस, लक्ष्मी नगर, दिल्ली) में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के साथ ग्रामीण आर्थिक विकास को अर्न्तसम्बन्धित किया इसके साथ ग्रामीण आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार के अंतर प्रभावों का अध्ययन किया।

शोध के उद्देश्यः–

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्य रहै है।

- अध्ययन क्षेत्र में सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
- अध्ययन क्षेत्र में सीमांत एवं लघु किसानों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
- किसानों की आर्थिक स्थिति पर सरकारी विपणन व्यवस्था के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाः–

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु निम्न परिकल्पनाएं की गई है।

- सरकारी विपणन व्यवस्था में सीमांत एवं लघु किसानों के उत्पादन की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर छोटे किसान समूहों की सरकारी विपणन व्यवस्था में सहभागिता सुनिश्चित की जाए। जोतों के छोटे आकार एवं फसलों का गैर व्यावसायिक उत्पादन करने के कारण सीमांत एवं लघु किसान सरकारी

विपणन व्यवस्था से बाहर रहते हैं तथा इस व्यवस्था का लाभ लेने के स्थान पर दलालों तथा गैर बाजारी संगठन इस लाभ को अपने हित में प्राप्त करते हैं।

विषय का महत्व, संसाधन एवं उत्पादन प्रबंधन का अनुकूलन एक प्रभावी कृषि विपणन र.ानीति संसाधनों के उपयोग और उपज के नियंत्रण को अनुकूलित करती है। एक सफल विपणन योजना अपर्याप्त उत्पादन, भंडारण और परिवहन से होने वाले नुकसान को कम करके विपणन योग्य अधिशेष को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। एक सुव्यवस्थित विपणन तंत्र के माध्यम से न, इनपुट आसानी से वितरित कि, जा सकते हैं, जिससे कृषि में उच्च विकास दर को बना, रखा जा सकता है। एक सफल विप.ान योजना कृषि उत्पादों के विपणन में बिचौलियों की संख्या को कम करके या विपणन सेवाओं और कदाचार के खर्च को कम करके किसानों के लि, अधिक लाभ सुनिश्चित करती है। एक प्रभावी योजना यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को कृषि उत्पादों के बेहतर दाम मिलें और वे आधुनिक आय अर्जित करने में निवेश करें, जिससे दाता और उत्पादन में वृद्वि होती है। इससे किसानों के भंडार अधिशेष और आय में वृद्वि होती है।

यदि निर्माता अपने उपलब्ध अधिशेष उत्पाद को तुरंत नहीं बेच पाता है, तो उसे अधिक उत्पादन करने की प्रबल इच्छा नहीं होती है। एक प्रभावी और ज्ञात विपणन योजना द्वारा वस्तुओं की मांग को दुनिया के भीतर और बाहर, यानी उत्पादन केंद्रों से दूर–दराज के स्थानों तक बढ़ाया जा सकता है। उद्योग का विस्तार उत्पादन में निरंतर वृद्वि में योगदान देता है और इस प्रकार उत्पादक को अधिक लाभ सुनिश्चित करता है। एक सुदृढ़ और प्रभावी कृषि विपणन तंत्र कृषि आधारित के विकास में सहायक होता है और समग्र आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। कच्चे माल के उत्पादन के लि, कृषि कई क्षेत्रों पर निर्भर करती है, जैसे कपास, चावल, खाद्य तेल, खाद्य निर्माण और रस। मूल्य संकेत एक प्रभावी विपणन योजना किसानों को आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादन की योजना बनाने में सक्षम बनाती है। यह कार्य मूल्य संकेत भेजकर किया जाता है।

(i) थोक खरीदारों जिनमें संगठित खुदरा विक्रेता भी शामिल हैं को कृषि उत्पाद सीधे फार्म–गेट (खेत पर ही) से खरीदने की अनुमति देना, ताकि उन्हें राज्य द्वारा अधिसूचित मंडियों में जाने या उन मंडियों के संचालकों द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न शुल्कों का भुगतान करने की जरूरत न पड़े।

(ii) गोदामों, साइलो और कोल्ड स्टोरेज को जिनमें निजी एजेंसियों द्वारा संचालित गोदाम भी शामिल हैं मानित बाजार यार्ड (DMY) घोषित करना।

(iii) निजी क्षेत्र में कई ई–ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करना और उनका संचालन करना, जिनमें e&NAM (इलेक्ट्रॉनिक–राष्ट्रीय कृषि बाजार) भी शामिल है। इन सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य ठीक वही हासिल करना है, जो उन तीन कृषि कानूनों का भी उद्देश्य था। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए, राज्यों को अपने APMC कानूनों में जरूरी संशोधन करके इस पहल में शामिल होना होगा। भाजपा–शासित कई राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश (UP) ने इस मामले में सबसे आगे बढ़कर पहल की है। उसने पहले ही नियमों में संशोधन करके

सीधे फार्म–गेट से खरीद की व्यवस्था कर दी है साथ ही, गोदामों, साइलो और कोल्ड स्टोरेज वगैरह को DMY घोषित कर दिया है और निजी क्षेत्र में ई–ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने की अनुमति दे दी है।

उदारीकरण के इन उपायों के नतीजे अब दिखने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि UP के किसान अपनी गेहूँ की उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा निजी आउटलेट्स पर बेच रहे हैंय यहाँ तक कि सरकारी खरीद पोर्टल पर पंजीकृत किसान भी अपनी उपज निजी खरीदारों को बेचने का फैसला कर रहे हैं। अन्य राज्यों को भी जिनमें गैर–भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं इस पहल में शामिल होना चाहिए। उन्हें भी अपने कानूनों में संशोधन करके किसानों को यह अनुमति देनी चाहिए कि वे बिना किसी बाधा के, अपनी पसंद के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी उपज बेच सकें। इससे उन्हें अपनी सारी उपज के लिए बाजार खोजने में मदद मिलेगी और मौजूदा मांग–आपूर्ति की स्थिति के आधार पर, उन्हें शायद MSP से भी ज्यादा कीमत मिल सकेगी। सरकार के भी बहुत सारे संसाधन बचेंगे – भौतिक और वित्तीय दोनों – जो अभी कृषि बाजारों में उसके नियमित दखल के कारण बर्बाद हो रहे हैंय यह दखल ऊपरी तौर पर किसानों को सहारा देने के लिए किया जाता है। वह इन संसाधनों का उपयोग कर सकती है। किसानों के लिए अधिक आसानी से सुलभ बनाया गया।

यह किसानों के लिए लाभकारी होगा। वे किसानों को ज्ञान प्रदान करते हैं जिसका उपयोग वे शिक्षित निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं, जो बदले में किसानों को रोपण के लिए तैयार करने में मदद करता है। इसके अलावा, ये प्रौद्योगिकियां किसानों को बिक्री प्रक्रिया के चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करके उनके अधिशेष उत्पादन के प्रबंधन में सहायता करती हैं। खुदरा उद्योग आपूर्ति और मांग में बदलाव के जवाब में मूल्य निर्धारण को संशोधित करने में असमर्थ है क्योंकि इसमें पर्याप्त विपणन डेटा तक पहुंच नहीं है,। क्योंकि उनके पास विपणन डेटा तक पहुंच नहीं है, व्यापारी आपूर्ति और मांग में बदलाव के लिए मूल्य निर्धारण को संशोधित करने में असमर्थ हैं। खेत के माल का प्रभावी विपणन सबसे आवश्यक चीजों में से एक है जो लंबी अवधि में कंपनी के निरंतर वित्तीय स्वास्थ्य में योगदान कर सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि परिदृश्य में, कृषि विविधता राज्य की समृद्ध कृषि विरासत का प्रमाण होने के साथ–साथ एक ऐसी चुनौती भी है जिसके लिए नवीन समाधानों की आवश्यकता है। पश्चिमी के विशाल भूभाग और विविध प्रकार की फसलों के साथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विविधता के साथ–साथ राज्य के किसानों को कई अनूठी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। छोटे भू–जोत और जल संकट जैसी पारंपरिक समस्याओं से लेकर बाजार तक पहुंच और जलवायु परिवर्तन जैसे आधुनिक मुद्दों तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र एक नाजुक मोड़ पर है। इस संदर्भ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाना और प्रभावी समाधानों की पहचान करना राज्य की कृषि विरासत को बनाए रखने और किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए आवश्यक है। यह चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता के जटिल ताने–बाने

की पड़ताल करती है, इसकी प्रगति में बाधा डालने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करती है और अधिक समृद्ध और टिकाऊ कृषि भविष्य के लिए व्यवहार्य समाधान प्रस्तावित करती है।

निष्कर्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश (यूपी) भारत के सबसे अधिक कृषि विविधता वाले राज्यों में से एक है, जिसमें नौ कृषि–जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी मिट्टी और जलवायु परिस्थितियां हैं। यह विविधता राज्य के कृषि उत्पादन में भी झलकती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें, फल और सब्जियां शामिल हैं, जिससे अनूठी फसलें और फसल पद्धतियां विकसित होती हैं। राज्य में मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन सहित विविध प्रकार के पशुधन भी पाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का लगभग 83% मानसून के मौसम (जुलाई से सितंबर) के दौरान होता है शेष वर्षा (लगभग 17%) सर्दियों में (पश्चिमी विक्षोभ के कारण) और गर्मियों में (चक्रवातों के कारण) होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश को विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के आधार पर 9 कृषि–जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों का वर्गीकरण मिट्टी, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कृषि लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय राजनीति और जीवन की समग्र गुणवत्ता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, कृषि क्षेत्र की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। आजादी के 79 साल बाद भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, निर्वाह आधारित ही बनी हुई है। किसान मुख्य रूप से अपने परिवार के उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे विशिष्ट सिंचित क्षेत्रों में ही बाजार–उन्मुख कृषि पद्धतियां प्रचलित हैं। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाव है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 58 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश के कुल भूभाग का 7.33% हिस्सा है, लेकिन देश की 16.5% जनसंख्या का भार इस पर पड़ता है। इसके अलावा, 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल कामकाजी आबादी का 59.3% कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, औद्योगीकरण और शहरीकरण से कृषि योग्य भूमि पर भारी दबाव पड़ रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 शर्मा, वी– (2002)– 21वीं सदी में कृषि व्यवसाय सहकारी समितियाँ – चुनौतियाँ और अवसर कृषि विपणन की एक राष्ट्रीय स्तरीय त्रैमासिक पत्रिका, जुलाई–सितंबर, 65 (2), पृ0 33–38

2 मेलर, जे–डब्ल्यू (1961) आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, 51 (3) पृ0 566–593

3 राउत, के. (2006)– ग्रामीण विपणन पुस्तक बिजटन्त्र नई दिल्ली, भारत।

4 पाठक, के. (2009) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि का योगदान। जर्नल ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, 14(1), पृ0 52–57

5 रामकिशन, वाई. (2004) ग्रामीण और कृषि विपणन में परिप्रक्ष्य तृतीय संस्करण, जैको पब्लिकेशन्स, मुंबई, भारत

6 बैरेट, सी. बी, (2000) कृषि औद्योगीकरण, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय विकास मुद्दों, पैटर्न और निर्धारकों का एक अवलोकन कृषि अर्थशास्त्र, 23 (3), पृ0 195–205